MOST- URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G / M-1 /GoI-1/2017–18 जयपुर, दि 16 मार्च, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– प्रंधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15.0.2018

प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (PMAY-G) के कियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुबंध–1 में योजना की पात्रता हेतु स्थाई वरीयता सूची में जोडे जाने के मापदण्ड वर्णित है। उक्त संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.01.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में वंचित पात्र परिवारों के नाम योजना की वरीयता सूची में जोड़े जाने हेतु प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.02.2018 द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। जिस क्रम में 08 से 12 मार्च, 2018 तक विशेष ग्राम सभा आयोजित कर वंचित पात्र परिवारों की सूची तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र द्वारा शेष ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन दिनांक 15.03.2018 तक कराने के जारी निर्देशों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय पत्र दिनांक 22.02.2018 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराकर 08 से 12 मार्च, 2018 तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन प्रस्तावित किया गया है, जिसकी निरन्तरता में नियमानुसार कार्यवाही कराकर ही शेष ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं करायी जानी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कराकर शेष ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा का आयोजन कराकर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराकर वंचित पात्र परिवारों की सूची विभाग को दिनांक 31.03.2018 तक विभाग को वंचित पात्र परिवारों की सूची भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

16.3.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एंव आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान ।

16/3/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्राविवि